राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण,
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005
ईमेल – dir-pen-rj@nic.in दूरभाष न. 0141–2740538, 2741687
वेबसाईट :– rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

क्रमांक :– प.5(311) निपेवि/नियम/ 2019/पार्ट II/499–525–H दिनांक :– 13.01.2021

परिपत्र

पेंशन कुलक के ऑनलाईन/सरलीकरण हेतु वित्त विभाग के निर्देशों की पालना में NIC द्वारा ई–पेंशन मोड्यूल विकसित किया गया है, जिसे वित्त (पेंशन) विभाग के पत्र क्रमांक प.10(21) वित्त/राजस्व/2015 दिनांक 25.09.2020 के द्वारा वित्त (नियम II) विभाग से प्राप्त निर्देश दिनांक 24.09.2020 एवं ई–पेंशन मॉड्यूल संबंधी कार्य की प्रगति की समीक्षा हेतु शासन सचिव, वित्त (बजट) की अध्यक्षता में दिनांक 08.01.2021 को आयोजित बैठक में प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में **कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग** के नियंत्रणाधीन विभागों यथा निदेशालय कोष एवं लेखा, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, आबकारी विभाग, निरीक्षण विभाग एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग में पायलट आधार पर लागू किया जाना है।

एन.आई.सी द्वारा ई–पेंशन मॉड्यूल लाईव किया जा रहा है अतः दिनांक **18.01.2021** से उपरोक्त विभागों के नवीन पेंशन प्रकरण ई–पेंशन मोड्यूल के माध्यम से ही ऑनलाईन निस्तारित किये जायेंगे। अतः दिनांक 18.01.2021 एवं उसके पश्चात् उक्त विभागों के समस्त नवीन पेंशन प्रकरणों को पेंशन विभाग की वेबसाइट www.pension.raj.nic.in पर ई–पेंशन मॉड्यूल के माध्यम से **ऑनलाईन ही भिजवाना सुनिश्चित्** करावे। साथ ही उक्त विभाग अपने अधीनस्थ कार्यालयों के पेंशन प्रकरणों को भी उपरोक्तानुसार **ऑनलाईन ही भिजवाना सुनिश्चित्** करावे।

ऑनलाईन पेंशन आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रियात्मक जानकारी यूजर मेनुअल (User Manual) के रूप में उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में तकनीकी प्रशिक्षण एवं तकनीकी समस्या निराकरण हेतु जल्दी ही अधिकृत ई–मेल आईडी/हेल्पलाईन न. जारी कर यथासमय सूचित कर दिया जायेगा।

उपरोक्त विभागों के **पारिवारिक पेंशन प्रकरण, प्रोविजनल पेंशन प्रकरण एवं संशोधित (Revision) पेंशन प्रकरण पूर्व की भाँति ही ऑफलाईन** भिजवाये जाये।

(सुल्तान सिंह)
निदेशक

क्रमांक :– प.5(311) निपेवि/नियम/ 2019/पार्ट II/499–525–H दिनांक :– 13.01.2021
प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
3. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, कर भवन, जयपुर
4. आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर
5. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, वित्त भवन, जयपुर
6. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, वित्त भवन, जयपुर
7. निदेशक, निरीक्षण विभाग, जयपुर
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (पेंशन) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
9. संयुक्त/उप शासन सचिव, कार्मिक (क–4)/(क–4/2)/(क–1)/(ख–2) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर
10. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)/(मुख्यालय)/संयुक्त निदेशक (नियम) कार्यालय हाजा।
11. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/भरतपुर।
12. उप महानिदेशक/वरिष्ठ उपनिदेशक एन.आई.सी. ।
13. उप निदेशक कम्प्यूटर शाखा कार्या. हाजा।
14. उप निदेशक /सहायक निदेशक समस्त पीआर अनुभाग .... कार्यालय हाजा
15. निजी सचिव निदेशक पेंशन कार्या. हाजा।

अतिरिक्त निदेशक (मुख्यालय)

C:\Users\nan\Desktop\RULES